16/2/20. पत्रावली पेश।

प्रतिवादी ने प्रार्थना पत्र O7 R11 CPC पेश किया। प्रतिवादी का यह कथन है कि वादी ने अपने वाद में उपंजीकृत दस्तावेज़ के आधार पर खातदारी घोषणा माँगी है जो सिविल न्यायालय का क्षेत्राधिकार है।

वादी ने अपने जवाब में कहा है उक्त वाद राजस्व से संबंधित है इसलिए राजस्व

उपखण्ड अधिकारी
रामगंजमण्डी

| हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज | नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए |
|---|---|
| न्यायालय का क्षेत्राधिकार है। पत्रावली का अवलोकन किया गया यह सही है कि वादी ने अपने फर्द दस्तावेज़ में अपंजीकृत दस्तावेज़ पेश किए है। लेकिन ~~भूमि कृषि है~~ है क ~~कृषि~~ वादी ने फर्द दस्तावेज़ में बैनामे की रेजिस्ट्री भी लगाई है जिससे प्रतिवादी 1-6 ने प्रतिवादी 7 को विवादित भूमि का बैनाम कर दिया है. वादी ने मद न. 5 व 6 में उल्लेख किया है उक्त विक्रय पत्र का पंजीयन निरस्त किए जाने योग्य है। धारा 207 Suits & Applications cognizable by Revenue Courts Only के हिसाब से यह ~~स्पष्ट~~ ~~स्पष्ट~~ है कि विक्रय पत्र को अपास्त करने का अधिकार civil न्यायालय को ही है, राजस्व न्यायालय को नहीं। वादी को घोषणा का दावा राजस्व न्यायालय में पेश करने से पहले उक्त विक्रय पत्र को अपास्त कराना होगा क्योंकि राजस्व न्यायालय विक्रय विलेख को रद्द नहीं कर सकता है। | |

उपखण्ड अधिकारी
रामगंजमण्डी

| तारीख हुक्म | हुक्म या कार्यवाही मयें इनिशियल्स जज | नम्बर अहका हुक्म में ज |
|---|---|---|
| | इसलिए प्रार्थना पत्र 07 Rule स्वीकार किया जाता है। बाद इसी स्तर पर खारिज़ किया जाता है।<br>निर्णय आज 16/2/26 को सुनाया गया।<br>पत्रावली कौशल कुमार क्लर्क दाखिल दफ़्तर हो।<br><br>Che<br>उपखण्ड अधिकारी<br>रामगंजमण्डी | |